तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज भारत सिंह V/s सीताराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/07/25	वजुलाय फरीकैन उप०, तहसीलदार नगर से कुर्रे रिपोर्ट प्राप्त की जाकर, पत्रावली दिनांक 11/8/25 को पेश हो।	
11/8/25	वजुलाय फरीकैन उप०, पत्रावली बाबत कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 20/8/25 को पेश हो।	
20/8/25	पीठासीन अधिकारी महादय, चुनाव/अन्य कार्य में स्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 27/8/25 को पेश हो.	
27/8/25	पीठासीन अधिकारी महादय, चुनाव/अन्य कार्य में स्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/9/25 को पेश हो.	
17/9/25	पीठासीन अधिकारी महादय, चुनाव/अन्य कार्य में स्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 24/9/25 को पेश हो.	
24/9/25	पीठासीन अधिकारी महादय, चुनाव/अन्य कार्य में स्त हैं अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 8/10/25 को पेश हो	कुर्रे से सहमत हूँ
08/10/25	वकील वादी उप०। तहसीलदार नगर से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिस पर वादी ने मय वकील कुर्रेजात रिपोर्ट को सही होना स्वीकार किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री जाता है, विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) सहायक कलक्टर	भरतसिंह [illegible]

(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०

भरतसिंह बनाम सीताराम वगै0

न्यायालय सहायक कलक्टर नगर (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी – दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस.)

तारीख दायरा:–26.09.2016

वाद संख्या :– 121/2016

भरतसिंह पुत्र गिर्राजसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सुन्दरावली तहसील नगर जिला डीग।

------वादी

बनाम

1. सीताराम पुत्र गिर्राजसिंह
2. सफैदा पत्नी मानसिंह
3. रघुबिन्द पुत्र मानसिंह | नाबालिग सरपरस्त माता खुद
4. राधा पुत्री मानसिंह | सफैदा पत्नी मानसिंह
5. झांझन पत्नी भगवानसहाय

   जातियान गुर्जर निवासी ग्राम सुन्दरावली तहसील नगर जिला डीग।
6. तहसीलदार एंव सब रजिस्ट्रार नगर

-----प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित:–

1. अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार शर्मा वादी।

दिनांक:–08.10.2025

निर्णय

वादी द्वारा न्यायालय हाजा मे एक वाद बाबत विभाजन एंव अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय के साथ प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 1494/0.32, 1384/0.62, 1495/0.72, 1510/0.81, 1511/0.57, 1512/0.44, 1823/0.24, 1850/1.33 बाके ग्राम सुन्दरावली तहसील नगर मे स्थित है। जिसका वादी एंव प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी मे अच्छी तथा बुरी मे से बुरी आराजी के कुर्रे बनाये जाकर विभाजन कर पृथक–पृथक खाता एंव पृथक–पृथक लगान कायम किया जावे।

प्रतिवादीगण बावजूद सूचना न्यायालय मे उपस्थित नही होने से इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल लाई गई।

बहस उपरान्त प्रकरण मे दिनांक 14.06.2018 को दावा वादी प्राथमिक डिकी जारी जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी आराजी के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय मे पेश करने बाबत आदेश प्रदान किये गए।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

भरतसिंह बनाम सीताराम वगै०

तहसीलदार नगर द्वारा वउनवानी प्रकरण मे विभाजन प्रस्ताव तैयार कर जरिये त्र कमांक/भू.अ./25/2871 दिनांक 12.08.2025 को न्यायालय हाजा को कुछ इस कार से प्रेषित किये गए।

1. आराजी खसरा नं0 1494/1/0.10, 1495/0.72, 1510/1/0.23, 1511/1/0.19, 1512/1/0.15, 1384/1/0.21 किता 06 रकबा 1.60 है0 भरतसिंह पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार।
2. आराजी खसरा नं0 1494/2/0.11, 1850/1/0.67, 1510/2/0.28, 1511/2/0.19, 1512/2/0.15 किता 05 रकबा 1.40 है0 रघुवेन्द्र पुत्र मानसिंह, राधा पुत्री मानसिंह, सफेदा पत्नी मानसिंह जाति गुर्जर बहिस्सा बराबर सा. देह खातेदार।
3. आराजी खसरा नं0 1494/3/0.11, 1850/2/0.66, 1510/3/0.30, 1511/3/0.19, 1512/3/0.14 किता 05 रकबा 1.40 है0 सीताराम पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार।
4. आराजी खसरा नं0 1384/2/0.41 किता 01 रकबा 0.41 है0 झाइन पत्नी भगवानसहाय जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार।

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्श कुछ इस प्रकार से है।

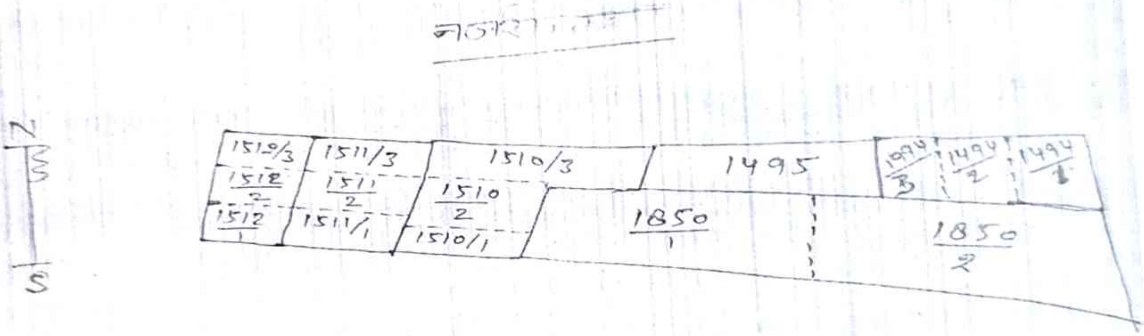

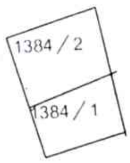

प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर वादी व वकील वादी को सुना गया। वादी ने मय वकील निवेदन किया है कि मै कुर्रेजात रिपोर्ट से सहमत हूं इसी के अनुसार हमारा विभाजन कर दिया जावे। हमने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया।

तहसीलदार नगर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.08.2025 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा–53 के नियम 18–21 के अन्तर्गत तैयार किये गये है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थिति बाबत पक्षकारान को सूचित करते हुये उपस्थित पक्षकारान की उपस्थिति मे तैयार किये गये है। अत तहसीलदार नगर द्वारा प्रेषित

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज०

रेजात प्रस्ताव नियमों के संदर्भ मे प्रमाणिक व सही प्रतित होती है। जिसके अनुसार दी रिकॉर्ड के अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है। अत दावा वादी अन्तिम डिक्री किये जाने योग्य है।

:आदेश:

अत वाद वादी स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नगर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 12.08.2025 के आधार पर उभय पक्ष के मध्य विवादित आराजी खसरा न0 1494/0.32, 1384/0.62, 1495/0.72, 1510/0.81, 1511/0.57, 1512/0.44, 1850/1.33 बाके ग्राम सुन्दरावली तहसील नगर को मुताबिक हिस्सा जमाबन्दी, खाते अलग–अलग बहिस्सा लगान कायम किये जाकर निम्न प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे इंद्राज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

1. आराजी खसरा नं0 1494/1/0.10, 1495/0.72, 1510/1/0.23, 1511/1/0.19, 1512/1/0.15, 1384/1/0.21 किता 06 रकबा 1.60 है0 भरतसिंह पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा. सुन्दरावली खातेदार। खसरा नं0 1494/1/0.10, 1384/1/0.21 राहिन हिस्सा पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा नगर।
2. आराजी खसरा नं0 1494/2/0.11, 1850/1/0.67, 1510/2/0.28, 1511/2/0.19, 1512/2/0.15 किता 05 रकबा 1.40 है0 रघुवेन्द्र पुत्र मानसिंह, राधा पुत्री मानसिंह, सफेदा पत्नी मानसिंह जाति गुर्जर बहिस्सा बराबर सा. सुन्दरावली खातेदार। सफेदा पत्नी मानसिंह का पूर्ण हिस्सा राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा नगर।
3. आराजी खसरा नं0 1494/3/0.11, 1850/2/0.66, 1510/3/0.30, 1511/3/0.19, 1512/3/0.14 किता 05 रकबा 1.40 है0 सीताराम पुत्र गिर्राज जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा. सुन्दरावली खातेदार। राहिन हिस्सा पूर्ण बडौदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नगर।
4. आराजी खसरा नं0 1384/2/0.41 किता 01 रकबा 0.41 है0 झाझन पत्नी भगवानसहाय जाति गुर्जर हिस्सा पूर्ण सा. सुन्दरावली खातेदार राहिन हिस्सा पूर्ण बडोदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नगर।
5. खसरा नं0 1823/0.24 मे मकानात बने होने के कारण इस खसरा नम्बर को शामिलात रखा जावे।

नक्शे मे तरमीम इस प्रकार से की जावे।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0

भरतसिंह बनाम सीताराम बगै0

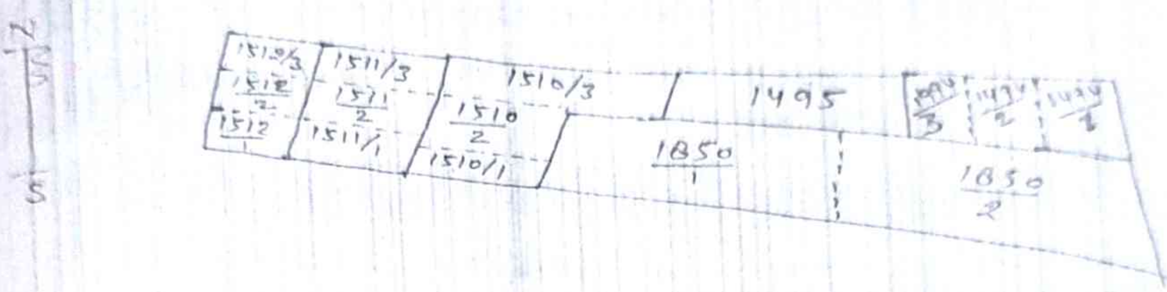

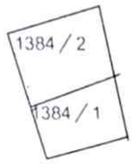

इसी प्रकार पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।. पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल [illegible] हो।

कार्यपालक मजिस्ट्रेट राजस्थान सत्यमेव जयते नगर (डीग)

08/10/25

(दुर्गा प्रसाद मीना)R.A.S.
सहायक कलक्टर
नगर (डीग)

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
नगर (डीग) राज0